



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

दूरभाष/फैक्स नं० 05964-225115

E-mail - pdpdpdpth@rediffmail.com

पत्रांक 221/22 याता०

दिनांक 21/1/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग
पिथौरागढ़

विषय:- घण्टाक से धारी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण, प्रपोजल सं० (FP/UK/ROAD/40805/2019)

सन्दर्भ:- कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाउँ वृत्त के पत्रांक 2732/12-1, दिनांक 12/01/2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में यह अवगत कराना है कि घण्टाक से धारी मोटर मार्ग में दिनांक 08.10.2020 को वन संरक्षक, अल्मोड़ा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ़ तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि० के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया था।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग में 51 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र घीड़ के वृक्षों से प्रभावित है साथ ही मोटर मार्ग में अन्य वैकल्पिक समरेखण की स्थिति में अधिक वृक्ष प्रभावित होने की संभावना है। अतः मार्ग के निर्माण हेतु तथा 341 स्थानीय जनता के लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत समरेखण ही उचित समझा गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त मार्ग में अपनी निरीक्षण आख्या को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाउँ वृत्त, अल्मोड़ा की निरीक्षण आख्या की छाया प्रति।

पत्रांक 221/22 याता०

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाउँ वृत्त, अल्मोड़ा को सूचनार्थ।

भवदीय
21/1/2021
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

21/1/2021
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

निरीक्षण आख्या

प्रस्ताव संख्या 40805/2019

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का नव निर्माण (ल0 5.000 किमी0) का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ एवं प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ वनप्रभाग अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार का नव निर्माण में कुल 51 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, यह क्षेत्र बॉज के अतिरिक्त घीड प्रजाति के वृक्षों से आच्छादित है। कुल प्रभावित क्षेत्रफल में 0.29 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र, 0.63 हे0 सिविल व 0.99 हे0 वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त कोई ऐसा वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है, जिसमें वर्तमान में प्रभावित हो रहे बॉज वृक्षों से कम वृक्ष प्रभावित होते हो। वर्तमान समरेखण में प्रभावित होने वाले बॉज वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। वह प्रभावित बॉज वृक्षों के पातन के बगैर मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धारी व डुंगरी के 82 परिवारों की 341 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

इस मोटर मार्ग से ग्राम धारी व डुंगरी के 82 परिवारों की 341 लोगों को लाभ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रभावित वन भूमि को जनहित में हस्तान्तरण करने की संस्तुति की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।